

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी
प्रकाष्ठ विक्रय डिपो लालकुआं-डिपो संख्या-1

विक्रय सूची सी-1 जल्दी प्रकाष्ठ तं० पू० वन प्रभाग वन प्रमाण 20.11.2023

क्र० सं०	वन विकास निगम की लॉट संख्या	वन विभाग की लॉट संख्या	वन प्रभाग	राजि का नाम	रेंज केस संख्या / जल्दी प्रकाष्ठ	प्रजाति	मात्रा (कुटल)	प्रकाष्ठ जहाँ रखा है, मीके पर जैसा है।	विक्रय मूल्य	क्रैग का नाम	पूर्व इतिहास
1	514/23-24	159/23-24	तं० पू० वन प्रभाग	शौली	विभिन्न रेंज अपराध	रेता दऊ बजरी (आरबीएम)	6495.00	10 1-उक्त उपखनिज रेंज परिसर लालकुआं में रखा गया है। 2-उक्त उपखनिज मीके पर जमीन पर यत्र-तत्र फैला है। 3-उक्त उपखनिज जहाँ है जैसा है विक्रय किया जा रहा है। अतः क्रेता लॉट क्रय करने से पूर्व वन उपज को भली भाँति देख लें। 4-उक्त उपखनिज की मात्रा में वर्षा तेज हवा जानवरों के उठने बैठने चलने आदि प्राकृतिक कारकों के कारण घटत-बढ़त की संभावना है। लॉट के उपखनिज की मात्रा में तले की भूमि में निश्चित मात्रा भी सम्मिलित है। 5-क्रेता को समस्त उपखनिज मानवीय संसाधनों द्वारा उठाना होगा किन्तु भी अवस्था में यांत्रिक साधनों जे० सी० बी० आदि का प्रयोग वर्जित होगा। 6-क्रेता द्वारा लॉट का उपखनिज उठाने समय लॉट के आस पास उपखनिज फैलाने पर लॉट की मात्रा में हुई कमी का विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। 7-क्रेता को लॉट का कायदेश प्राप्त होने के 3० (तीस) दिन के भीतर लॉट का उपखनिज उठाना होगा विलम्ब की स्थिति में क्रेता से व्यवसायिक दरों पर जगह का किराया वसूला जायेगा। 8-क्रेता लॉट को क्रय करने से पूर्व भलीभाँति देख लें नीलामी के पश्चात यदि लॉट में मात्रा में कोई कमी आती है तो विभाग उत्तरदायी नहीं रहेगा। 9-उक्त लॉट में परिवर्ती वत के वर्ष २०२३-२०२४ के सभी विक्रय नियम लागू होंगे।	11	12	13
						योग	6495.00				

डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम